न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
48 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	06.07.2017	12.09.2024

मदन लाल गुर्जर, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रभूलाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स रवि कुमार एण्ड कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0। निवासी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0।
2–मैसर्स रवि कुमार एण्ड कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोक राज0।

.....अप्रार्थी

जुर्म धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री प्रभुलाल विजय अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 12.09.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 11.04.2017 को समय 12:32 पीएम पर मैसर्स रवि कुमार एण्ड कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा वहां पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रता की हैसियत से श्री प्रभूलाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, श्री प्रभूलाल विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फैंक्शनरी, घी, तेल, मसाले, के साथ–साथ दुकान की रैक में 500–500 ग्राम के लगभग 24 मूल पैक चाय **चाय राजस्थान चाय पॉली पैक(Tea Rajasthan Chai Poly Pack)** के पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500 ग्राम पैक रखा हुये थे। जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री प्रभूलाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री प्रभूलाल विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। दुकान की रैंक में रखे लगभग 500–500 ग्राम के मूल पैक के लगभग 24 नग पैकेट पैक्ड अवस्था में से **चाय राजस्थान चाय पॉली पैक(Tea Rajasthan Chai Poly Pack)** ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पैक कुल 2.00 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय राजस्थान चाय पॉली पैक(Tea Rajasthan Chai Poly Pack)** के 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम पैक को ज्यों का त्यों मूल अवस्था में चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर एयरटाईट बन्द कर अलग–अलग बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1608 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1608 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/1950 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0एस0/253/एक्ट/2017 /253 दिनांक 21.04.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **चाय राजस्थान चाय पॉली पैक(Tea Rajasthan Chai Poly Pack)** एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को बार–बार नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये। परन्तु न तो अप्रार्थी ना ही अप्रार्थी की ओर से कोई प्रतिनिधि न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **चाय राजस्थान चाय पॉली पैक(Tea Rajasthan Chai Poly Pack)**का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा **2(ii)** के अन्तर्गत अपराध एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय राजस्थान चाय पॉली पैक(Tea Rajasthan Chai Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी को निर्णय की सूचना हेतु पत्र लिखा जावें। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.09.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0